न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 47/2015 (223 आरटीए) कन्हैयालाल बनाम मिश्रीदेवी वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00100)

कन्हैयालाल पुत्र हजारीराम जाति सरगरा निवासी जाट हॉस्टल के सामने पटेल कालोनी बिलाड़ा, जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 मिश्रीदेवी पत्नी पारसराम,
2 सरोज पुत्री पारसराम,
3 सुनील पुत्री पारसराम,
4 पंकज पुत्र पारसराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण मेघवालों का बेरा, पतालियावास रोड, बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
5 चिमनाराम पुत्र जगाराम,
6 जयराम पुत्र जगाराम,
7 बचनाराम पुत्र प्रभूराम,
8 पन्नाराम पुत्र जगाराम,
9 देवाराम पुत्र जगाराम,
10 गौरीदेवी पत्नी जगाराम,
11 भंवरीदेवी पुत्री जगाराम सभी जाति मेघवाल निवासीगण मेघवालों की ढिमड़ी पतालियावास रोड़ बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
12 मोतीलाल पुत्र हजारीराम,
13 मुकेश पुत्र जयचंद,
14 सीता पत्नी जयचंद,
15 पिस्ता पत्नी ढगलाराम,
16 अनिता पुत्री ढगलाराम,
17 पूजा पुत्री ढगलाराम,
18 मोकली पुत्री ढगलाराम,
19 उकड़िया पुत्र ढगलाराम

रेस्पो. सं. 16 से 19 नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता पिस्ता पत्नी ढगलाराम जाति सरगरा निवासी सरगरों का बास सोजतीगेट बिलाड़ा जिला जोधपुर।

12/12
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20 भंवरी पुत्री हजारीराम पत्नी बंशीलाल जाति सरगरा निवासी सुरायता तहसील सोजत जिला पाली।

21 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बिलाड़ा दिनांक 21.10.1987 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 26/1982

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़।

2 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री छेलाराम विश्नोई।

3 रेस्पो. सं. 5 से 11 व उनके अधिवक्ता श्री किशनाराम विश्नोई अनुपस्थित।

4 रेस्पो सं. 14 से 19 व उनके अधिवक्ता श्री अशोक चंन्द्र अनुपस्थित।

5 रेस्पो. सं. 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

6 रेस्पो. सं. 12, 13 व 20 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के राजस्व वाद सं. 26/1982 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.1987 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के समक्ष धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की माता गणकी की ओर से राजस्व वाद सं. 26/1982 पेश किया था जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा बिलाड़ा के चक सं. 3 में भूमि खसरा नं. 537 रकबा 3 बीघा पर संवत 2026 से अपीलांट की माता का कब्जा काश्त होने से भू–आवंटन सलाहकार समिति जोधपुर द्वारा दिनांक 17.06.72 को गणकी को नियमन की गई एवं नियमन आदेश की पालना में तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा नामांतरकरण स्वीकार किया जाकर गणकी को राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 537/1 रकबा 3 बीघा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदार दर्ज किया गया। इस नियमन आदेश को किसी ने आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया। अपीलांट की माता गणकी की खातेदारी एवं कब्जे की इस भूमि के पश्चिम में रेस्पो. सं. 5, 6, 7 तथा रेस्पो. सं. 1 से 4 के पिता/पति पारसराम तथा रेस्पो. सं. 8 से 11 के पिता/पति जगराम की भूमि आई हुई है। दिनांक 09.04.1980 को पारसराम वगै. अपीलांट की माता गणकी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से बबूल के पेड़ काट कर ले गए तथा इस भूमि पर पत्थर डाल दिए तथा जबरदस्ती हल चलाकर गेहूं की काश्त कर दी। अपीलांट की माता अपने खेत पर गई तो परसराम वगै. ने उसके साथ धक्का मुक्की की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की अपीलांट की माता ने पुलिस थाना बिलाड़ा में रिपोर्ट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त पारसराम, जयराम, बचनाराम, जगाराम, के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 447, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलाड़ा द्वारा बाद अनवीक्षा अपने निर्णय दिनांक 16.11.1984 द्वारा अभियुक्त बचनाराम, जयराम, पारसराम, जगराम की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अंतर्गत दोषी करार दिया तथा अभियुक्त जयराम को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी करार दिया गया तथा 1 वर्ष की अवधि के लिए सदाचारी बने रहने एवं शांति बनाए रखने के लिए 1000/– की जमानत पर छोड़ा गया तथा भूमि का कब्जा अपीलांट की माता गणकी को सौंपे जाने का आदेश दिया गया। अपीलांट की माता गणकी ने दिनांक 20.05.1984 को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय के समक्ष पारसराम वगै. के विरुद्ध धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 537/1 रकबा 3 बीघा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाने तथा हर्जाना दिलाने के लिए राजस्व वाद पेश किया जो दावा सन् 1986 में बिलाड़ा में सहायक कलेक्टर के न्यायालय का सृजन हो जाने से बिलाड़ा स्थानांतरित किया गया। सहायक कलेक्टर बिलाड़ा ने पक्षकारो की शहादत सबूत लेकर अपने निर्णय दिनांक 21.10.1987 को दावा खारिज कर दिया। अपीलांट की माता गणकी ने सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.1987 के विरुद्ध दिनांक 31.12.1987 को अंदर मियाद माननीय न्यायालय (राजस्व अपील अधिकारी) के समक्ष अपील पेश की। सन् 1988 में जोधपुर राजस्व अपील अधिकारी द्वितीय का सृजन कर दिया

12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया इस कारण अपीलांट की माता द्वारा की गई अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वितीय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई। राजस्व अपील अधिकारी प्रथम जोधपुर के न्यायालय में अपील में तारीख पेशी दिनांक 28.02.89 दी हुई थी लेकिन पत्रावली स्थानांतरित हो जाने से उस दिन कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। सन् 1989 में अपीलांट की माता गणकी को लकवे का दौरा पड़ा जिससे उसकी चलने फिरने तथा बोलने की क्षमता समाप्त हो गई तथा चारपाई पकड़ ली एवं उसी अवस्था में उसका दिनांक 19.11.1991 को देहांत हो गया। इस प्रकरण की पैरवी अपीलांट की माता गणकी स्वयं ही करती थी इस कारण अपीलांट एवं अन्य परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि जमीन बाबत प्रकरण कहां व किस न्यायालय में चल रहा है। अपीलांट ठेला लगाकर मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहा है। इस कारण उसे इस प्रकरण की कभी जानकारी नहीं हुई। अपीलांट की माता के देहांत के बाद भूमि खसरा नं. 537/1 रकबा 3 बीघा अपीलांट व उसके भाईयों के नाम दर्ज कर दी। अपीलांट ने दिनांक 13.12.2007 को प्रशासन शहरों के संग अभियान में भूमि खसरा नं. 537/1 रकबा 3 बीघा का सीमांकन पैमाइस के लिए आवेदन पेश किया जिसको प्रभारी अधिकारी ने तहसीलदार बिलाड़ा को प्रेषित कर दिया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की तथा न ही अपीलांट को कोई संतोष जनक जबाब दिया। रेस्पो. शुरू से ही बदमाश एवं झगड़ालू प्रकृति के व्यक्ति हैं। बचनाराम, जयराम, परसराम ने पड़ोसी सेसूगिरी की भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त करने की कोशिश की तो सेसूगिरी ने उसका विरोध किया तो उन्होंने सेसूगिरी की हत्या कर दी, उस हत्या के मामले में सेशन न्यायालय जोधपुर द्वारा बचनाराम जयराम व परसाराम को आजीवन कारावास की सजा कर दी। रेस्पो. बचनाराम व परसाराम मार्च 2009 में सजा काट कर रिहा होकर तथा रेस्पोडेंट जयराम पेरोल पर रिहा होकर आए तथा अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 537/1 रकबा 3 बीघा पर काश्त करने से मना कर दिया तथा तरमीम नहीं कराने की धमकी दी तथा खेत पर आने पर अपीलांट को जान से मारने की धमकी दी तो अपीलांट ने दिनांक 20.04. 2009 को सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा, सीमांकन एवं नक्शा ट्रैस में उनकी भूमि की तरमीम के लिए राजस्व वाद पेश किया उस राजस्व वाद में रेस्पो. प्रतिवादी की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

से जयराम ने दिनांक 30.07.2012 को जबाब दावा पेश किया जिसमें अभिकथन किया कि अपीलांट की माता गणकी ने एक राजस्व वाद सं. 28/1982 किया था जो दावा निर्णय दिनांक 21.10.87 द्वारा खारिज हो जाने से अपीलांट द्वारा यह दावा चलने योग्य नहीं हैं तो अपीलांट ने बिलाड़ा न्यायालय से उस वाद के बारे में मालूम किया तो बताया गया कि वह पत्रावली जोधपुर जिला अभिलेखागार में जमा करा दी है तो अपीलांट ने दिनांक 01.08.2012 को जोधपुर आकर उक्त राजस्व वाद के निर्णय एवं पत्रावली के लिए प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 12.09.2012 को निर्णय एवं पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.1987 की प्रतिलिपि एवं पत्रावली की प्रतिलिपि लेने पर वहां पर मालूम हुआ कि अपीलांट की माता गणकी ने इस निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील की थी तो अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी प्रथम जोधपुर के न्यायालय से मालूम हुआ उस पत्रावली पर दिनांक 28.02.1989 तक उस न्यायालय में थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। अपीलांट द्वारा बहुत कोशिश करने के बाद दिनांक 1.8.2012 को मालूम हुआ कि राजस्व अपील अधिकारी प्रथम द्वारा राजस्व अपील अधिकारी द्वितीय जोधपुर को पत्रावली स्थानांतरण के बाद दिनांक 23.11.1992 को अदम पेरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दी गई तो अपीलांट ने दिनांक 27.08.2012 को अपील सं. 168/89 अनवान मु.गणकी बनाम पारसराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 23.11.1992 की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 07.09. 2012 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई तब अपीलांट ने दिनांक 12.09.2012 को आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को दोनों पक्षकारों को सुनकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.3.2013 को स्वीकार कर आदेश दिनांक 23.11.92 को अपास्त कर अपील सुनवाई पर पुनः नंबर पर लेने का आदेश दिया। रेस्पो. सं. 1 से 11 ने माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की माता गणकी द्वारा की गई अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किए गए आदेश दिनांक 23.11.92 को अपास्त करने के लिए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.20123 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

दिनांक 25.05.2015 द्वारा रेस्पोडेंट की निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 25.03.2013 निरस्त कर दिया एवं निगरानी कर्ता की स्वीकृति से गणकी को नए सिरे से अपील पेश करने के निर्देश दिए गए। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 25.05.2015 में दिए गए निर्देश के अनुसार गणकी के उत्तराधिकारी अपीलांट की ओर से सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.1987 के विरुद्ध यह अपील पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा गणकी द्वारा किए गए दावे को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 द्वारा वादी गणकी के वाद को विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी मानकर तनकी नं. 2 उसके विरुद्ध निर्णित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। वादी गणकी ने प्रतिवादीगण द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि में जबरदस्ती घुसकर नाजायज तौर से फसल की बुआई कर दी, गणकी द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट की जिसकी पुलिस रिपोर्ट पुलिस थाना बिलाड़ा द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 447, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी करार दिया एवं अपने निर्णय दिनांक 16.11.84 द्वारा प्रतिवादीगण बचनाराम, जयराम, व परसाराम को 1 वर्ष की अवधि के लिए सदाचारी बने रहने को लिए रु. 1000/– जमानत पर परिवीक्षा पर छोड़ा गया था एवं विवादग्रस्त भूमि का कब्जा मु. गणकी को सौंपने का आदेश दिया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किए बिना ही वादी का दावा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 3 का निर्णय वादी के विरुद्ध करने में विधिक त्रुटि की गई है। विवादग्रसत भूमि वादिनी को पुराने कब्जे के आधार पर दिनांक 17.06.72 को नियमन की गई थी एवं नियमन के बाद भूमि खसरा नं. 537/1 रकबा 3 बीघा वादिनी की खातेदारी में दर्ज की गई। इस भूमि पर दिनांक 09.04.80 तक वादिया शांतिपूर्वक कब्जा काश्त कर रही थी एवं उसके बाद प्रतिवादीगण ने नाजायज अतिक्रमण कर फसल बो दी। अतः वादिया अपनी खातेदारी की भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने

बिना किसी आधार के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किए बिना विधि विरुद्ध तरीके से वादी का दावा खारिज कर दिया जो निर्णय एवं डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 4 का निर्णय भी वादी के विरुद्ध करने में विधिक त्रुटि की गई है। वादिनी विधि अनुसार अतिक्रमी से कब्जा प्राप्त करने की तिथि तक रु. 500/– प्रति वर्ष के हिसाब से हर्जाना प्राप्त करने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 5 का निर्णय आंशिक प्रतिवादीगण के पक्ष में करने में विधिक त्रुटि की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तरमीम के लिए दिए गए आदेश को जिला कलेक्टर को निरस्त करने का अधिकार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक बार की गई तरमीम बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए तथा प्रभावित पक्षकारों को नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए रद्द नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी अनुसर शहादत का विवेचन व विश्लेषण किए बिना निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के अनुसार नहीं होने से केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्थान रेवेन्य कोर्ट्स मैन्युअल भाग–2 के प्रावधानों के विरुद्ध होने से भी निरस्त किए जाने योग्य है। रेवेन्यु कोर्ट्स मैन्युअल में प्रावधान है कि फाइनल निर्णय आर्डरशीट में नहीं लिखा जाकर अलग से लिखा जाना चाहिए जिसमें पक्षकारों के नाम, पते आदि का संपूर्ण विवरण तथा पक्षकारों की प्लीडिंग, तनकीयात तथा शहादत का संपूर्ण विवरण तथा तनकी अनुसार शहादत का विवेचन विश्लेषण कारण सहित निर्णय लिखा होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अवैध एवं अनियमित एवं मनमाना होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वर्तमान अपील माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलांट की ओर से जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण स्वीकार करने का निवेदन किया तदनुसार अधीनस्थ न्यायायल का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर वादीगण का दावा डिक्री करने का भी निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री छेलाराम विश्नोई ने बहस में कथन किया कि वादिनी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वास्तव में उसे भूमि

12/12/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कहां आवंटित/नियमन हुई। जो कथित तरमीम बता रही है वह भी रद्द कर दी गई है इसकी पुष्ठि उपजिलाधीश जोधपुर के द्वारा पटवारी बिलाड़ा को लिखे पत्र सं. 1500 दिनांक 01.09.81 से होती है। कब्जे के आधार पर कायम तनकी सं. 2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी के खिलाफ निर्णित की जा चुकी है। इन सभी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.87 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 21 की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित करने का अनुरोध किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेखीय आधार पर वादिया अपीलांट पक्ष को वादग्रस्त आराजी का नियमन के आधार पर खातेदार होना स्वीकार करते हुए तनकी संख्या 1 का निष्कर्ष वादिया अपीलांट के पक्ष में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया अपीलांट द्वारा आलोच्य वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि वादिनी के पक्ष में नियमन के आधार पर खातेदारी में आई की तरमीम परिवर्तित होने/तथाकथित तौर पर अस्पष्ट होने के आधार पर दावा खारिज कर दिया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम संबंधित जो नक्शे वादिया अपीलांट द्वारा पेश किए गए उनके संबंध में समुचित विवेचन कर उन्हें स्वीकार करने अथवा स्वीकार नहीं करने का कोई कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में वर्णित नहीं किया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी पक्ष जिनके खिलाफ वादिनी द्वारा अपनी भूमि पर जबरन कब्जा करना बताया गया है उनका साधिकार कब्जा या अपनी खातेदारी की भूमि पर होना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाए। अधीनस्थ न्यायालय का यह न्यायिक कर्तव्य था कि जब अधीनस्थ न्यायालय के सामने कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्राप्ति हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण में वादीपक्ष का खातेदार होना एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होना और प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होना, तीनों ही बिंदु सामने आ गए, उस स्थिति में विस्तृत जांच कर वस्तुस्थिति अभिलेख पर लेकर स्पीकिंग न्यायिक आदेश पारित किया जाता। किंतु आलोच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है इस कारण यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करना उचित नहीं समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10. 1987 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी वादी पक्ष को जरिए नियमन खातेदारी में प्राप्त होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में मौके पर वादी पक्ष का कब्जा नहीं होने तथा प्रतिवादी पक्ष का साधिकार कब्जा बतौर खातेदार सिद्ध नहीं होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में विस्तृत जांच की जाकर, आवश्यकता हो तो नवीन तनकी कायम की जाकर, पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत एवं न्यायोचित निर्णय पारित करें।

12/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर